

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक : प.2(30)नविवि / 3 / 2016

जयपुर, दिनांक:- 19 MAY 2017

आदेश

विषय:- शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यावसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना एवं शिविरों के प्रभावी संचालन एवं कियान्वयन बाबत।

“मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना शिविर, 2017” का आयोजन राज्य सरकार के आदेश समसंबंधिक दिनांक 25.04.2017 के तहत दिनांक 10.05.2017 से शहरी जन कल्याण शिविर शुरू किये जा रहे हैं। जिसके संबंध में माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में विभागीय एम्पार्ड कमेटी की दिनांक 08.05.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण की पालना में उक्त योजना में किये जाने वाले कार्यों के संबंधित बिन्दुओं पर निम्न प्रकार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. सहकारी समिति की योजनाओं में जो पट्टा जारी किया जाता है, उसमें विकास शुल्क की राशि का विभाग रत्तर पर पुनः परीक्षण करने पर यह पाया कि आंतरिक विकास शुल्क (Internal Development Charges) जमा नहीं करवाया जाता है। अतः भविष्य में आंतरिक विकास कार्यों नगरीय निकाय के द्वारा किये जाने वाले कार्यों का शुल्क टाउनशिप पॉलिसी के अनुरूप लिया जावेगा। जारी होने वाले पट्टों पर यह नोट अंकित होगा:-
 “ योजना में आंतरिक जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति एवं आंतरिक सड़क निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जावेगा।”

2. 300 वर्गमीटर तक राजकीय भूमि के नियमन बाबत जो दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, उन्हें प्रत्याहारित (Revoke) किया जाता है।
 3. स्टेट ग्रांट एक्ट एवं गाड़िया लुहार, विमुक्त, घुमतु, अर्द्धघुमतु जातियों को निर्देशानुसार दिये जाने वाले पट्टों बाबत यह सुनिश्चित किया जावे कि वे पांच वर्ष तक इस पट्टे का हस्तान्तरण नहीं करेंगे। इसके साथ ही अन्य समस्त पट्टों का पंजीयन व नामांकन अनिवार्य होगा। पट्टा जारी करते समय अनुज्ञेय क्षेत्र का पट्टा जारी किया जावेगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति व भूमि के स्वामित्व का पटटा दोनों अलग-अलग है।
 4. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए एवं 90-बी के तहत की गई कार्यवाही व तत्पश्चात् जारी पट्टों/लीज डीड का नाम हस्तान्तरण शुल्क अब 10/- रुपये प्रतिवर्गमीटर के स्थान पर निम्नलिखित दरों पर लिया जावेगा :-

क्रम	क्षेत्रफल	दर प्रति वर्गमीटर (राशि रुपये में)
1.	1 से 100 वर्गमीटर तक	10/-
2.	100 वर्गमीटर से अधिक एवं 300 वर्गमीटर तक	15/-
3.	300 वर्गमीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर तक	20/-
4.	500 वर्गमीटर से अधिक	25/-

5. योजना क्षेत्र में कोई भी सरकारी जमीन आ रही हो, तो शिविर/मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना की अवधि के दौरान नियमन/आवंटन नहीं किया जावेगा। किसी अन्य पॉलिसी, पृथ्वीराज नगर/टाउनशिप पॉलिसी में यदि इस बाबत कोई प्रावधान है, तो विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

- आवासीय कालोनी में कुछ अन्य गतिविधियां भी अनुज्ञेय होती हैं। ऐसे क्षेत्रों में संस्थागत प्रकरण में आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि एवं वाणिज्यिक में आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि वसूल कर निर्माण की अनुमति दी जा सकेगी।
- निकायों द्वारा जो दुकाने अधिकतम् 40 वर्गमीटर लघु अवधि की लीज के लिए दी गई थी व जिनकी लीज अवधि समाप्त हो गई तो लीज की नवीनीकरण 30 वर्ष के लिए कराने पर आरक्षित दर की 50 प्रतिशत एकबारीय तथा 5 प्रतिशत लीज रेंट प्रति वर्ष लिये जाने की शर्त पर नवीनीकरण किया जा सकेगा। आरक्षित दर जब-जब भी संशोधित होगी तब-तब संशोधित आरक्षित दर के अनुसार 5 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लिया जावेगा। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग/नगरीय विकास विभाग के स्तर पर नियमों में संशोधन करने हेतु कार्यवाही किये जाकर आदेश पृथक से ज़ारी किये जायेंगे। आदेश जारी होने के बाद ही इस प्रकार के प्रकरणों में कार्यवाही की जावें।
- नगरीय रथानीय निकाय स्तर पर गठित एम्पावर्ड कमेटियों के सम्बन्ध में जारी आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया है:-

 - सम्बन्धित माननीय विधायक विशेष आमंत्रित के रूप में भाग ले सकेंगे।
 - नगर निगम की एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष, महापौर होंगे, किन्तु उनकी अनुपरिथिति में आयुक्त (सम्बन्धित जोन) अध्यक्षता करेंगे ताकि कैम्पों का कार्य प्रभावित नहीं हो।
 - अन्य नगर परिषद/पालिका स्तर पर एम्पावर्ड कमेटी की अध्यक्षता सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जावेगी। इस कमेटी में सम्बन्धित नगर परिषद/पालिका के सभापति/अध्यक्ष, सदस्य होंगे।

अतःउपरोक्त दिशा—निर्देशों के अनुसार “मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना शिविर, 2017” की क्रियान्विति सुनिश्चित की जावे। यह आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम
नगरीय विकास विभाग

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन नण्डल विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
- आयुक्त/जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
- आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
- श्री आर.के पारीक, विशेषाधिकारी/परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम